संख्या-01/2020/13/2/1997/का-1-2020

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2020

विषयः- अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पदोन्नति पर विचारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 सपठित प्रथम संशोधन नियमावली, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सन्दर्भ में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आयें है कि संस्था के हित को दरकिनार करते हुए केवल रिक्त पदों को भरे जाने के उद्देश्य से, अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए जा रहे है, जबकि पदोन्नति में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण दिये जाने का मुख्य उद्देश्य संस्था हित होना चाहिए और उसके बाद 'स्टेगनेशन' और 'कैरियर प्रोग्रेसन' आदि के बारे में विचार किया जाना चाहिए। 'टाप हैवी सिस्टम क्रिएट' करने से 'फील्ड लेवल/एग्जीक्यूशन लेवल' पर अधिकारियों की कमी हो जाती है।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त पहलुओं पर गम्भीरता से विचारण करते हुए, मुख्यतः शासकीय हित को ध्यान में रखते हुए, अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण संबंधी प्रस्ताव कार्मिक विभाग को सन्दर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-01/2020/13/2/1997/का-1-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्याक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शीतला प्रसाद
विशेष सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in